न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील 100/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
आदम खॉ पुत्र अने खॉ जाति मुसलमान निवासी– सांकड़ा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2018 जो उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 141/2017 अनवान आदमखॉ बनाम तहसीलदार पोकरण में पारित किया गया।

उपस्थिति

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता, अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 19 मार्च, 2025

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पेश करते हुए निवेदन किया कि ग्राम सांकडा में उनकी पुश्तैनी भूमि स्थित है और वे पूर्वजों के समय से ग्राम सांकडा में निवास करते आ रहे है। वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थी के नाम खेत ख0सं0 654 दर्ज हुई लेकिन प्रार्थी की पुश्तैनी ढाणी उक्त भूमि से लगती पश्चिम दिशा में रह गई जो कि ख0सं0 653 दर्ज हुआ। तत्पश्चात ख0सं0 653/2 रकबा 10.4 बीघा गैरमुमकीन ढाणी व प्रार्थी का पुश्तैनी कुऑ ख0सं0 653/1 रकबा 0.02 बीघा गैरमुमकीन कुऑ दर्ज हुआ। उक्त स्थान पर पर प्रार्थी व उसके पुत्रों की कदीमी ढाणियां बनी हुई है तथा मवेशियों के बाडे, सरकारी सहायता से पानी हेतु हैण्डपम्प व सरकारी सभा भवन इत्यादि बने हुए है। उक्त ख0सं0 653/2 में प्रार्थी की ढाणी व ख0सं0 653/1 में कुआं स्थित है जिसकी राजस्व लट्ठा ट्रेस में राजस्व अधिकारियों ने मौके पर आकर ढाणियों व कुऑ की तरमीम की गई। उक्त तरमीम प्रार्थी की ढाणियॉ व कुऑ है, उनको

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आधार मानकर की गई थी। वर्तमान में राजस्व अधिकारियों द्वारा ख0सं0 653 की पैमाइश करने पर प्रार्थी व उसके पुत्रों की कदीमी ढाणियों को ख0सं0 653/2 की तरमीम से बाहर किनारे पर होना पाया जो कि संलग्न नजरिये नक्शाके अनुसार चारों ढाणियां होना बताई गई है। पूर्व में राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी व उसके पुत्रों की ढाणियां ख0सं0 653/2 में स्थित होने पर तरमीम की गई थी लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी व उसके अधीनस्थ भू0अ0निरीक्षक व पटवारी हल्का मौके पर बनी ढाणियां, सभा भवन व हैण्डपम्प मौके पर ख0सं0 653/2 की तरमीम के बाहर होना बता रहे है जबकि कुऑ ख0सं0 653/1 में स्थित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती का स्वीकार किया जावे एवं ख0सं0 653/2 रकबा 10.4 गैर मुमकीन ढाणी की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर मौके पर स्थित ढाणियॉ, मवेशियों के बाडे, सामुदायिक भवन की स्थिती के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2019 के जरिये खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.10.2019 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने मियाद अधिनियम की धारा 05 के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2019 में अंकित तथ्यों के अनुसार यह अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नियमित पेशियां मुकरर्र की जाती रही है एवं उनकी ओर से अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे तथा पत्रावली तहसीलदार के जवाब हेतु लम्बित थी। उक्त पत्रावली को अकस्मात राजस्व शिविर में ले जाकर बिना कोई सुनवाई के निर्णित कर दिया गया, जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई। दिनांक 20.09.2019 को अपीलान्ट पोकरण गया तथा अधिवक्ता से मिला तो अधीनस्थ न्यायालय में जाकर प्रकरण की जानकारी गई ली तब उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रकरण निर्णित हो चुका है। तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश की दिनांक 24.09.2019 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई तब उन्हें अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश का प्रथम ज्ञान होने की दिनांक से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का क्षमा किया जावे तथा अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार नहीं किये जाने का निवेदन किया गया।

मियाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनने के उपरान्त न्यायहित में अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली को निर्णित कर दिया। पत्रावली नियमित पेशियों में चल रही थी तथा तहसीलदार की ओर से जवाब पेश किया जाना था परन्तु अकस्मात पत्रावली को कैम्प कोर्ट में ले जाकर बिना सुनवाई किये ही निर्णित कर दिया गया, अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 निरस्त करने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त खातेदारी की भूमि में अपीलान्ट के रहवासीय मकानात, मवेशी के बाडे व कुऑ बना हुआ है परन्तु राजस्व नक्शे में इन सबका गलत लोकेशन बताकर तरमीम कर दी गई। इस कारण से ही अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शे में सही तरमीम हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है एवं उक्त भूमि कोई राजकीय भूमि नहीं है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उल्लेखित भूमि को राजकीय भूमि होना मानते हुए मनमाने ढंग से निर्णित कर दिया है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने इसी भूमि के संदर्भ में निर्णित अपील के निर्णय द्वारा तहसीलदार को यह स्पष्ट निर्देश दिये थे कि जमाबन्दी व राजस्व नक्शे को साथ रखते हुए मौके पर पैमाइश कार्य करे व वास्तविक कब्जे के अनुसार नक्शे में तरमीम करे परन्तु उन निर्देशों की कोई पालना तहसीलदार द्वारा नहीं की गई। तब अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश महज कयासी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दलीलों पर आधारित है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी ने राजस्व रेकर्ड व मौके की जॉच किये बिना ही दो पंक्ति का आदेश पारित कर दिया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त की जावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पोडेन्ट के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने सुनवाई यह कथन किया है कि अपीलान्ट के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के राजकीय पक्ष की ओर से यह जवाब पेश किया गया था कि अपीलान्ट के द्वारा जिस खसरा संख्या 653 रकबा 144.11 बीघा में तरमीम शुद्धि चाही गई थी वो भूमि गैर मुमकीन पायतन के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो रखी है जो कि प्रतिबन्धित भूमि है, इस कारण से उक्त भूमि में तरमीम शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण खारिज फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त आधार पर अपीलान्ट के प्रार्थनापत्र को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है वो विधि के अनुकूल उचित होने से यथावत रखा जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन व चिन्तन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया गया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पेश कर अपनी खातेदारी वाले खेत ख0सं0 653/2 की तरमीम गलत होना बताते हुए पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर मौके पर स्थित ढाणियॉ, मवेशियों के बाडे, सामुदायिक भवन की स्थिती के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2019 के जरिये खारिज कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का यह कारण दर्शाया है कि "ग्राम सांकडा के ख0सं0 653 की भूमि गैर मुमकीन पायतन की भूमि है जो राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। प्रार्थी द्वारा ख0सं0 653 गैर मुमकिन पायतन में तरमीम शुद्धि चाही है जो किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है", जो

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कि उचित प्रतीत होता है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 जिसके प्रावधानों के तहत राजस्व नक्शें में पूर्व में हुई त्रुटि की दुरूस्ती किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा संख्या 653 की भूमि, जो कि गैर मुमकिन पायतन के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, में उनके मौके पर वर्तमान काबिज के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है जो कि धारा 131 के तहत नहीं दिया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में ऐसा कोई ठोस कानूनी आधार नहीं बताया है जिससे उनकी अपील स्वीकार किये जाने योग्य बनती हो। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 19 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिमा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर